

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 79] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 1981/फाल्गुन 4, 1902
No. 79] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 1981/PHALGUNA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1981

क्र. जा. 124 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है
कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन
आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी
किसम के पशु-चार के संबंध में महाराष्ट्र राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी।

2. यह अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 जून 1981 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पर-कारे की किस्में

(1) नूसी

(2) भुसा

(3) कडबा या कडबी या कडबा या पडबा

(4) घास

[सं 32-6/80-एल डी 2]

एन. राजागोपाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 1981

G.O. 124(E)—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Central Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby orders that the power to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 5 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any one of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Maharashtra in that State.

2. The order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st day of July, 1981.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(1) Hay

(2) Bhusa

(3) Karab or Karbi or Kadba or Pendha

(4) Grass.

[F. No. 32-6/80-L.D. II]
N RAJAGOPAL, Jt. Secy.